परिशिष्ट 'अ' [28/12/2020] (120)

प्रश्न सं. [क्र. 405]

ए.म.पी.हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय,पर्यावास भवन,भोपाल

परिपत्र क्रमांक – 2 / 2007 दिनांक 13 / 3 / 2007

परिपत्र

विषय :– लीज रेन्ट पुनरीक्षित करने बाबत।

मण्डल द्वारा आवंटित सम्पत्ति हेतु लीज की अवधि 30 वर्ष पूर्ण होने पर उसके लीज रेन्ट हेतु नवीनीकरण किया जाता है, व लीज रेन्ट नवीनीकरण बाबत मण्डल द्वारा परिपत्र क्रमांक 4463 दिनांक 22.11.97 जारी किया गया है। इस परिपत्र अनुसार आवंटित सम्पत्ति का लीज नवीनीकरण करने पर सम्पत्ति के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्ड का मूल्यांकन प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार किया जाकर आवासीय भूखण्ड हेतु आधा प्रतिशत एवं व्यावसायिक भूखण्ड हेतु एक प्रतिशत प्रतिवर्ष लीज रेन्ट के रूप में लिया जाता है। इस प्रक्रिया से लीज नवीनीकरण करते समय जो लीज रेन्ट आ रहा है, उसमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है एवं आवंटियों द्वारा आपत्ति ली जाकर अवगत कराया है कि लीज रेन्ट में अधिकतम वृद्धि मण्डल द्वारा 6 गुना की जाए, जैसा कि राजस्व विभाग आवंटित भूमि हेतु लीज रेन्ट में अधिकतम वृद्धि 6 गुना करता है।

उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर एवं लीज रेन्ट के युक्तियुक्तकरण हेतु प्रकरण मण्डल के 191 वें सम्मिलन दिनांक 24.2.97 की मद संख्या 19 पर प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अपने संकल्प क्रमांक 3901–19 / 191 / 02 / 2007 से निर्णय लिया गया कि 30 वर्ष उपरान्त लीज नवीनीकरण करते समय सम्बन्धित भूमि जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति आवंटित है उस हेतु कलेक्टर द्वारा पूर्व में जो लीज रेन्ट निर्धारित किया गया है, उसमें 6 गुना की वृद्धि की जाए तथा उसमें 10% प्रतिशत मण्डल का पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर संशोधित लीज रेन्ट आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल के अनुरूप लिया जाए। लीज नवीनीकरण करते समय यह भी देखा जाए कि यदि पूर्व में मण्डल द्वारा सम्बन्धित आवंटी से निष्पादित लीज अनुबन्ध अनुसार जो लीज रेन्ट लिया गया है, वह यदि कलेक्टर को देय लीज रेन्ट की अपेक्षा कम है, तो ऐसा कम लिया गया लीज रेन्ट भी व्यतीत अवधि हेतु मय ब्याज के एवं मण्डल के 10% पर्यवेक्षण शुल्क के साथ लिया जाकर मण्डल को हुई क्षति की पूर्ति की जाए। इस प्रकार अन्तिम रूप से यह देखा जाए कि मण्डल को सम्बन्धित आवंटी से प्राप्त हो रहा लीज रेन्ट जो कि कलेक्टर को सम्बन्धित भूमि हेतु देय है उसके अनुरूप 10% पर्यवेक्षण शुल्क के साथ प्राप्त हो जाए एवं मण्डल को कोई हानि न हो।

ऐसे प्रकरण जिसमें 30 वर्ष के उपरान्त लीज नवीनीकरण मण्डल के परिपत्र क्रमांक 4463 दिनांक 22.11.97 द्वारा किया जा चुका है व संशोधित लीज रेन्ट लिया जा रहा है, उसके अन्तर्गत यदि आवंटी पुनः लीज रेन्ट के संशोधन हेतु आवेदन करता है, तो उसे भी उपरोक्त लीज

गांधीनीकरण की प्रक्रिया का विकल्प किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई लीज रेन्ट की राशि अधिक पाई जाती है, तो उसका समायोजन आगे के वर्षों में देय लीज रेन्ट के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

मण्डल के आदेशानुसार,

मुख्य सम्पदा अधिकारी
एम.पी.हाउसिंग बोर्ड,भोपाल

क्रमांक 612 /सं.प्र./मं./2007 भोपाल,दिनांक 3-3-

प्रतिलिपि :-

1– निज सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल।

2– अपर आयुक्त(एन/एस/एम), एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल।

3– प्रभारी अधिकारी(बोर्ड), एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल।

4– मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य प्रशासकीय अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल।

5– उपायुक्त, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड वृत्त ————

~~6–~~ सम्पत्ति अधिकारी, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड भोपाल

7– कार्यपालन यंत्री, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड संभाग ————

8– प्रबन्ध संचालक, म.प्र. आवास विकास संस्थान, भोपाल।

9– जनसम्पर्क अधिकारी, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल।

10– सक्षम प्राधिकारी, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर।

मुख्य सम्पदा अधिकारी
एम.पी.हाउसिंग बोर्ड,भोपाल

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'ब' सूची

कमला नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल मे जिन भूखण्डो का लीज नवीनीकरण नही हुआ है उनकी सूची

स.क.	भूखण्ड कमांक
1	ए–101
2	ए–102
3	ए–103
4	ए–104
5	ए–105
6	ए–106
7	ए–107
8	ए–109
9	ए–112
10	ए–113
11	ए–115
12	ए–118
13	ए–122
14	ए–123
15	ए–125

सम्पदा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल-प्रक्षेत्र
गोमतिका परिसर जवाहर चौक, भोपाल

Scanned with CamScanner